



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1156 वर्ष 2026

राहुल मिश्रा और एक अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार त्रिवेदी
के अधिवक्ता : सीएससी

प्रतिवादी(यों)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संशोधन आवेदन संख्या 2/2026 के संदर्भ में

1. संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 29.01.2026 के आदेश के पैरा-4 की दूसरी अंतिम पंक्ति में दिनांक "12.01.2026" को हटाकर उसके स्थान पर दिनांक "26.02.2026" को प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

2. तदनुसार सुधार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"